

HARYANA WATER RESOURCES AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

The Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority (HWRA) has been established under the Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority Act, 2020, with the mandate of conservation, regulation and management of water resources, including groundwater and surface water, in the State of Haryana. Therefore, all industrial, infrastructure and mining projects requiring extraction of groundwater are required to obtain permission/No Objection Certificate (NOC) from the Authority, as per the applicable provisions, guidelines and regulatory framework. The HWRA has been regulating the development and management of groundwater through grant of permission/No Objection Certificates (NOCs) for extraction of groundwater by industries, infrastructure, mining and other projects.

With a view to facilitating compliance with HWRA Guidelines and addressing the concerns of various stakeholders, including the Industries, Infrastructure and Mining sectors, the Authority has decided to grant relaxation in late fees to facilitate the regularization of groundwater abstraction and encourage compliance with HWRA guidelines.

In view of the above, the Authority has decided to grant relaxation in late fees until 30.11.2026, in the public interest. With effect from 01.12.2026, late fees shall be charged as per the prevailing directions/guidelines of HWRA.

All groundwater users (except those falling under exempted categories) who are extracting groundwater are hereby directed to obtain the requisite No Objection Certificate (NOC) in accordance with the prevailing HWRA guidelines and submit their applications through the official online portal, <https://hwra.org.in>. Failure to obtain the requisite permission shall render the concerned project proponents liable to action in accordance with the applicable rules and regulations.



Chairperson
Haryana Water Resources Authority

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन एवं प्रबंधन) प्राधिकरण (HWRA) की स्थापना हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन एवं प्रबंधन) प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के अंतर्गत की गई है। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य में भूजल एवं सतही जल सहित जल संसाधनों का संरक्षण, विनियमन एवं प्रबंधन करना है। अतः भूजल दोहन की आवश्यकता वाली सभी औद्योगिक, अवसंरचना एवं खनन परियोजनाओं के लिए लागू प्रावधानों, दिशा-निर्देशों एवं नियामक ढांचे के अनुसार प्राधिकरण से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य है। प्राधिकरण द्वारा उद्योगों, अवसंरचना, खनन एवं अन्य परियोजनाओं को भूजल दोहन हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करके भूजल के विकास एवं प्रबंधन का विनियमन किया जा रहा है।

जनहित तथा उद्योग, अवसंरचना एवं खनन क्षेत्रों सहित विभिन्न हितधारकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण द्वारा भूजल दोहन को नियमित करने तथा HWRA के दिशा-निर्देशों की अनुपालना को सुगम बनाने के उद्देश्य से विलंब शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

उपरोक्त के दृष्टिगत, प्राधिकरण द्वारा जनहित में विलंब शुल्क में छूट की अवधि दिनांक 30.11.2026 तक निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 01.12.2026 से विलंब शुल्क प्राधिकरण के प्रचलित निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार वसूल किया जाएगा।

भूजल दोहन करने वाले सभी उपयोगकर्ताओं (छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर) को एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे HWRA के प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करें तथा अपने आवेदन प्राधिकरण के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल <https://hwra.org.in> के माध्यम से प्रस्तुत करें। आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में विफल रहने सम्बन्धित परियोजना प्रवर्तक लागू नियमों एवं विनियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

अध्यक्ष
हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण